(182)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4088—एक/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—11—2012 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, देवसर, जिला—सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2011—12

.....

पन्नालाल तनय शेषमन कुर्मी
निवासी—ग्राम हर्राविर्ती तहसील—देवसर
जिला—सिंगरौली(म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— लाखन तनय रामखेलावन कुर्मी
2— जयराम तनय रामखेलावन कुर्मी
3— रामाधर तनय रघुनाथ कुर्मी
4— बालगोविन्द तनय जंगी कुर्मी
5— शिवगोविन्द तनय जंगी कुर्मी
6— भैयालाल तनय मिठाईलाल कुर्मी
7— श्यामलाल तनय रामकिशुन कुर्मी
8— बाबा तनय रामकिशुन कुर्मी
निवासीगण— ग्राम हर्राविर्ती तहसील—देवसर
जिला—सिंगरौली(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 19-05-2017 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, देवसर, जिला—सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—11—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया है कि मौजा हर्राधिर्ती के खाता क्रमांक 298, खाता क्रमांक 36, खाता क्रमांक 38 तथा खात क्रमांक 40 की भूमियों के आवेदक एवं अनावेदकगण सह भूमिस्वामी है। उभयपक्ष ने तहसीलदार देवसर से उक्त खातों की भूमियों के विभाजन की मांग की । तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर मौके की स्थिति के अनुसार हल्का पटवारी से फर्द (पुल्ली) तैयार कराकर बटवारा किया है जिसके विरूद्ध अनावेदकगण ने बटवारा न होने पाये– अनावश्यक आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी और जब पटवारी ने मौके की स्थिति के मान से फर्द (पुल्ली) तैयार कर बटवारे हेतु प्रस्तुत कर दी, उसी पटवारी से अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः नवीन पुल्ली तैयार कराने का गलत निर्णय लिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाये एवं अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि वह तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार करके अपील प्रकरण का निराकरण करें।

3/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उभयपक्ष द्वारा बटवारे की मांग पर तहसीलदार देवसर ने ग्राम की नामांतरण पंजी के सरल क्रमांक 3 पर आदेश दिनांक 18.05.2002 से बटवारा किया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, देवसर/चितरंगी ने प्रकरण क्रमांक 2/2002–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.09.2005 से निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः मौके की स्थिति के मान से बटवारा करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। तहसीलदार देवसर के न्यायालय में बटवारे हेतु प्रकरण क्रमांक 65/अ–27/2000–01 पंजीबद्ध हुआ। मौके की स्थिति के मान से पटवारी द्वारा पक्षकारों के समक्ष फर्द तैयार की है जिस पर तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 10.02.2012 से बटवारा किया है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण क्रमांक 2/2011–12/अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.11.2012 से पटवारी से पुनः नवीन फर्द(पुल्ली) बटवारा करने हेतु मंगाई है। विचार यह किया जाना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी से नवीन फर्द(पुल्ली) बटवारा के उदेश्य से मंगाने में त्रुटि की है अथवा नहीं? जब अनुविभागीय अधिकारी आदेश दिनांक 20.09.2005 से प्रथम बार किया गया, बटवारा निरस्त कर चुके है एवं तहसीलदार ने

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में मौके की स्थिति अनुसार फर्द तैयार कराकर तथा सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः बटवारा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नये सिरे से बटवारा करने हेतु तीसरी बार नई फर्द मंगाने का निर्णय लेने में त्रुटि की है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, देवसर जिला–सिंगरौली का अंतरिम आदेश दिनांक 20.11.2012 दोषपूर्ण है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, देवसर जिला–सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/2011–12/अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.11.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर अपील प्रकरण का निराकरण 90 दिवस के भीतर करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर